मध्यप्रदेश शासन,
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक : 3098/17/19/मो   भोपाल, दिनांक 06/06/2017

प्रति,

1. प्रमुख अभियंता,
   लोक निर्माण विभाग,
   भोपाल

2. परियोजना संचालक,
   पी.आई.यू., लो.नि.वि.
   भोपाल

विषयः— निर्माण कार्यो के लिए भूमि उपलब्ध न होने पर तथा उपलब्ध भूमि के विवादित होने की स्थिति में अनुबन्ध के निष्पादन की प्रक्रिया के संबंध में ।

विभाग द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यो में कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि निर्माण कार्यो हेतु भूमि पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से विभाग को उपलब्ध नहीं होती है अथवा उपलब्ध भूमि किसी विवाद या अतिक्रमण से ग्रसित होती है, जिससे उस पर निर्माण कार्य संभव नहीं हो पाता है । ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा सफल निविदाकार से अनुबन्ध निष्पादित करने की स्थिति में कार्यो में विलंब होने एवं मूल्य वृद्वि का भुगतान आदि की स्थिति निर्मित होती है ।

इस प्रकार के प्रकरणों में यदि सफल निविदाकार को Letter of Acceptance जारी कर अनुबन्ध निष्पादन कर लिया जाता है, तो दिनांक 01.01.2014 को लागू नवीन निविदा प्रपत्र के अनुसार अनुबन्ध का निष्पादन ही कार्य प्रारम्भ करने की सूचना मानी जायेगी । पृथक से कार्यादेश जारी कराने की आवश्यकता नहीं होगी ।

अतः भवन निर्माण के प्रकरण में 90 प्रतिशत अविवादित भूमि उपलब्ध होने की दशा में ही सफल निविदाकार के पक्ष में कार्यादेश जारी कर उनसे अनुबन्ध निष्पादित किया जाये ।

यदि उपरोक्तानुसार भूमि उपलब्ध न हो तो संबंधित कार्यपालन यंत्री/संभागीय परियोजना संचालक लिखित में उनके परिक्षेत्रीय मुख्य अभियंता/अतिरिक्त परियोजना यंत्री को सूचित करेंगे एवं यथाशीघ्र भूमि प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास करेंगे । भूमि उपलब्ध होने के तुरन्त बाद Letter of Acceptance जारी करते हुए अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा । यदि किसी प्रकरण में निविदा की वैधता समाप्त हो गई हो तो निविदाकार से वैधता बढ़ाने के उपरान्त ही Letter of Acceptance जारी कर अनुबन्ध निष्पादित किया जाये ।

यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

5/6/2017

(चन्द्र प्रकाश अग्रवाल)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक निर्माण विभाग

पृ0 कमाक : भोपाल दिनांक

प्रतिलिपिः—
1. समस्त परिक्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश.
2. समस्त अतिरिक्त परियोजना संचालक, पी.आई.यू., लो.नि.वि. मध्यप्रदेश

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग